

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम संगरिया  
बलदेव सिंह वगैरा बनाम तहसीलदार राजस्व संगरिया

किस्म मुकदमा :- प्रार्थना- पत्र 251 (ए) आर.टी.ए

नम्बर 89./2025

वकील प्रार्थी- स्वयं

वकील अप्रार्थी

| तारीख हुकम | हुकम या कर्यवाही मय इमिशियल्स जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 10.9.2025  | <p>प्रार्थीगण बलदेव सिंह पुत्र छोटूसिंह, वीरपालकौर पत्नी बलदेव सिंह जाति कुम्हार साकिन भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ स्वयं ने एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार राजस्व संगरिया के समक्ष प्रस्तुत कर अपने स्वयं के नाम दर्ज आराजी चक 5 एचआरपी खाता संख्या 221/115 प.न. 178/110 मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 2/4/0.019 है. पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बाई किला नं. 9/2/0.019 है. पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बाई भूमि को सावर्जनिक रास्ता के लिये समर्पण करने हेतु निवेदन किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्रांक ई.फाइल नं.- एम.आई.एस. -0.122/204 दिनांक 12.08.2025 द्वारा प्रश्नगत भूमि पर स्थगन/विवाद आदि नही होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई गई है। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>अतः उक्त प्रार्थना पत्र/दस्तावेजों का अवलोकन कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की शर्त 8 (2) के तहत स्वीकार कर चक 5 एचआरपी खाता संख्या 221/115 प.न. 178/110 मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 2/4/0.019 एवं किला नम्बर 9/2/0.019 है. पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण गै.मु. रास्ता प्रार्थीगण की मांग अनुसार स्वीकृत किया जाता है। उक्तानुसार गै.मु. रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार संगरिया को दर्ज करने हेतु पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फौसला शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।</p> |  |